जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011
व स्थाई लोक अदालत

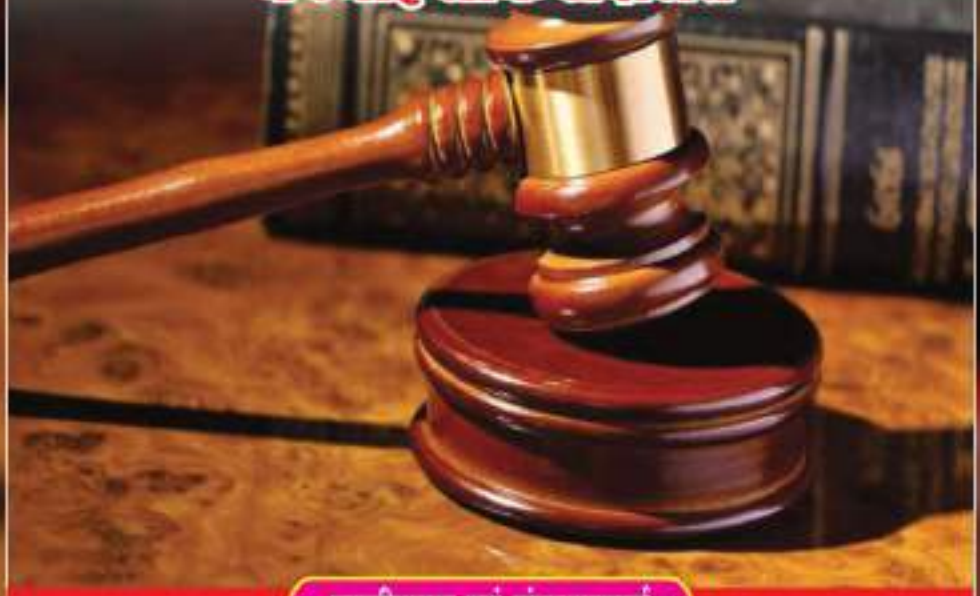

:- सरलीकरण एवं संकलनकर्ता :-

मनीष कुमार वैष्णव (R.J.S.)

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद

Dlsa helpline no. 8306002135, email id - dlsa30rajsmand@gmail.com

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजसमन्द

गिरीश कुमार शर्मा

संदेश

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कलम से

राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम–2011 व स्थाई लोक अदालत के सबंध में आमजन में जागरूकता एवं जानकारी की कमी होने के कारण इस स्कीम में व स्थाई लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन की संख्या अत्यंत कम है। मैं इस स्कीम और स्थाई लोक अदालत के प्रभावी कियान्वयन हेतु आमजन में जागरूकता लाने की आवश्यकता महसूस करता हूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद का इस दिशा में यह कदम सराहनीय है। इस पुस्तक में ''पीड़ित प्रतिकर स्कीम व स्थाई लोक अदालत'' को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि इन विषयों के बारे में जानने एवं समझने के लिए यह पुस्तिका न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पीएलवी व आमजन के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित होगी।

पुस्तक की सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

गिरीश कुमार शर्मा,
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजसमन्द

मनीष कुमार वैष्णव

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजसमन्द

संदेश

"राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011" पीड़ित व्यक्तियों को उनके द्वारा उठाई गई शारीरिक क्षति की क्षतिपूर्ति के लिये बनायी गयी है, इसी प्रकार जन उपयोगिता सेवाओं में कमी होने पर निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए "स्थाई लोक अदालत" की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बतौर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मैने महसूस किया है कि इस स्कीम के लागु होने व स्थाई लोक अदालत की स्थापना के कई वर्षो बाद भी इनके संबंध में आमजन में जागरूकता की कमी है। मेरे द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये इस पुस्तक का सरलीकरण व संकलन करने का प्रयास किया गया है जिसमें माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द श्री गिरीश कुमार शर्मा का बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला है। आशा है कि यह पुस्तक आमजन को इस स्कीम व स्थाई लोक अदालत के बारे में जानने एवं उनकी जिज्ञासाओं के समाधान करने में उपयोगी साबित होगी।

मनीष कुमार वैष्णव (R.J.S.)
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजसमंद

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पेज क्रमांक
1	पीड़ित प्रतिकर योजना पर प्रश्न एवं उत्तर	5–9
2	अंतरिम प्रतिकर के लिये प्रमाण पत्र का प्रारूप	10
3	प्रतिकर प्राप्त करने के लिये आवेदन का प्रारूप	11–13
4	शपथ पत्र व अंडरटेकिंग का प्रारूप	14–15
5	स्थाई लोक अदालत पर प्रश्न एवं उत्तर	17–22
6	आवेदन का प्रारूप (स्थाई लोक अदालत)	23
7	निःशुल्क विधिक सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप	25
8	सम्पर्क सूची	26

प्रश्न 1 – पीड़ित प्रतिकर स्कीम क्यों बनाई गई ?

उत्तर – संविधान में प्रदत मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 क में वर्णित उपबंधों का प्रयोग करते हुए अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुए और पुनर्वास के लिए अपेक्षित ऐसे पीड़ितों और उनके आश्रितों को प्रतिकर प्रदान करने के लिए यह स्कीम बनाई गई।

प्रश्न 2 – स्कीम का नाम क्या है ?

उत्तर – इस स्कीम का नाम "राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011" है।

प्रश्न 3 – पीड़ित किसे कहेंगे व यह स्कीम कहां लागु है?

उत्तर –यह स्कीम संपूर्ण राजस्थान राज्य क्षेत्र में लागु है।

इस स्कीम के तहत पीड़ित ऐसे व्यक्ति को माना जावेगा जिसे अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि हुई है या क्षति से ग्रस्त हुआ हो और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता हो। इसमें स्वयं आहत, उसका संरक्षक, विधिक वारिस और आश्रित सम्मिलित है।

प्रश्न 4 – प्रतिकर प्राप्त करने के लिये कौन पात्र है ?

उत्तर – प्रतिकर प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है ? इस बारे में स्कीम के खण्ड 4 में विस्तृत रूप से बताया गया है। स्कीम में पीड़ित या उसका आश्रित प्रतिकर की मंजूरी के लिये पात्र होगा यदि:–

1	उसे केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिये प्रतिकर नहीं दिया गया हो।
2	पीड़ित या उसके आश्रित को हुई हानि एवं क्षति से उनके परिवार की आय को नुकसान हुआ है और इस कारण वित्तीय सहायता के बिना उसका गुजारा करना कठिन हो गया है। या अपनी आय से अधिक मानसिक एवं शारीरिक क्षति के इलाज पर खर्च कर दिया है।
3	घृणित अपराध का कुकर्मी पकड़ा नहीं गया है या विचारण के पश्चात् दण्डित नहीं हुआ है किन्तु पीड़ित ज्ञात है और उसके शारीरिक और मानसिक पुनर्वास पर व्यय करना है।
4	पीड़ित तब भी आवेदन कर सकेगा जब अपराधी पकड़ा नहीं गया है या पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है लेकिन पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई मुकदमा नहीं चलता है।
5	पीड़ित या दावेदार बिना विलंब के अपराध की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करता है किन्तु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विलंब उचित कारण होने पर माफ भी कर सकता है।
6	पीड़ित या दावेदार मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करता है।

प्रश्न 5 – प्रतिकर प्राप्त करने के लिये आवेदन कब किया जा सकता है?

उत्तर – पीड़ित या दावेदार द्वारा अपराध होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दावा पेश किया जा सकता है, किन्तु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उचित कारण होने पर विलंब को माफ भी कर सकता है।

प्रश्न 6 – प्रतिकर प्राप्त करने के लिये आवेदन कहाँ किया जा सकता है ?

उत्तर – पीड़ित या दावेदार द्वारा आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में पेश किया जा सकता है। ऐसा आवेदन अपराध होने के पश्चात् संबंधित थानाधिकारी या मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र के पश्चात् ही प्रेषित किया जाना चाहिए।

प्रश्न 7 – आवेदन कैसे किया जावेगा एवं आवेदन के साथ क्या दस्तावेज पेश करना आवश्यक होंगे ?

उत्तर –

1	राजस्थान राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 में संपत्ति को हुई क्षति पर पीड़ित द्वारा, जीवन हानि पर मृतक के आश्रित द्वारा एवं घायल व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत द्वारा किये जा सकने वाले आवेदन का प्रारूप निर्धारित किया हुआ है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, न्यायालय, पुलिस थानों एवं पी.एल.वी. के पास उपलब्ध है।
2	आवेदन स्पष्ट रूप से भरा हुआ होना चाहिए। आवेदन के साथ थानाधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र, पीड़ित, मृतक के आश्रित द्वारा स्वप्रमाणित शपथ पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज, बैंक खाते की डिटेल, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, अस्पताल से संबंधित दस्तावेज, निर्योग्यता प्रमाण पत्र, पीड़ित या मृतक की आय के संबंध में प्रमाण–पत्र इत्यादि।

प्रश्न 8 – आवेदन प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जावेगी ?

उत्तर –

1	निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवेदन एवं दस्तावेजों की जांच करेगा व दावे का सत्यापन करेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर अन्य कोई जानकारी माँग सकेगा।
2	प्राधिकरण पीड़ित को हुई हानि, ईलाज खर्च, अंत्येष्टि खर्च, पुनर्वास के लिये उचित राशि एवं आश्रित को दिये जा सकने वाले प्रतिकर का निर्धारण उस मामले के तथ्यों के अनुसार निर्धारित कर सकेगा।

प्रश्न 9 – क्या राजस्थान राज्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 में अंतरिम प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर – हां, इस योजना के तहत अंतरिम प्रतिकर भी प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु ऐसे मामले में प्रतिकर राशि में – दाह संस्कार व्यय 10,000 रूपये, चिकित्सा व्यय 25,000 रूपये तक, बालक की दशा में देय अधिकतम प्रतिकर राशि का 50 प्रतिशत ,वयस्क की दशा में देय अधिकतम प्रतिकर राशि का 25 प्रतिशत ही अंतरिम प्रतिकर के रूप में देय होगा।

प्रश्न 10 – राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के तहत पीड़ित/आवेदक द्वारा अधिकतम कितना प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर –

क्र.सं.	हानि या क्षति की विशिष्टियां		प्रतिकर राशि की अधिकतम सीमा
1.	राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत यदि ऐसा मृतक :–	आय प्राप्त करने वाला हो	5 लाख
		बेरोजगार हो	2.50 लाख
2.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि पर 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर यदि व्यक्ति:	आय प्राप्त करने वाला हो	5 लाख
		बेरोजगार हो	2.50 लाख
	यदि ऐसी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक एवं 80 प्रतिशत तक है यदि व्यक्ति :–	आय प्राप्त करने वाला हो	80 हजार
		बेरोजगार हो	50 हजार
	यदि ऐसी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम है यदि व्यक्ति :–		25 हजार
3.	बलात्संग चाहे अवयस्क या वयस्क के साथ हो		5 लाख
4.	पुनर्वास		1 लाख
5.	मानव दुर्व्यापार, बाल दुरूपयोग, व्यपहरण के मामले में महिला एवं बच्चों के मानसिक पीड़ा से हुई हानि या क्षति		25 हजार
6.	बल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति		20 हजार
7.	एसिड हमले से पीड़ित		3 लाख
8.	लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध के मामले में		
	अ– प्रवेशन अथवा गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले		5 लाख
	ब– लैंगिक हमला		1 लाख
	स– गुरूतर लैंगिक हमला		2 लाख
	द– अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग		1 लाख

प्रश्न 11 – राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रतिकर की अदायगी कब की जाती है ?

उत्तर – आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 02 माह के भीतर प्रतिकर प्रदान करना होता है किन्तु लैंगिक अपराध से बालको संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश के मामलें में 30 दिवस में और यदि एसिड हमले से सम्बन्धित मामला है तो 15 दिन के भीतर प्रतिकर प्रदान करना होता है।

प्रश्न 12 – अंतिम प्रतिकर एवं अंतरिम प्रतिकर कब दिया जाता है व इसमें क्या अन्तर है ?

उत्तर – दाण्डिक प्रकरण के अंतिम निस्तारण के समय न्यायालय द्वारा निर्णय में ही पीड़ित को प्रतिकर दिलाए जाने के तथ्य पर विचार करने के पश्चात् प्रतिकर दिलाने हेतु अनुशंसा करने पर प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर अदायगी करना अंतिम प्रतिकर कहलाता है किन्तु पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज होते ही अनुसंधान के दौरान थानाधिकारी द्वारा अथवा अनुसंधान के पश्चात् नतीजा (अंतिम परिणाम) प्रस्तुत करने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिकर स्कीम के तहत प्रमाण–पत्र जारी करके उक्त प्रमाण–पत्र सहित आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर अदायगी करना अंतरिम प्रतिकर कहलाता है।

प्रश्न 13 – क्या राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम में प्रतिकर के अलावा भी अन्य कोई सहायता प्राप्त की जा सकती है, यदि हाँ तो कहां से ?

उत्तर – स्कीम के अनुच्छेद 5 (7) के अनुसार प्राधिकरण पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या मजिस्ट्रेट के प्रमाण– पत्र पर तुरंत निःशुल्क प्राथमिक उपचार सुविधा या चिकित्सीय फायदे या कोई अन्य अन्तरिम अनुतोष, जो वह ठीक समझे उपलब्ध कराने के लिए आदेश दे सकता है।

प्रश्न 14 –स्कीम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सहायता कहां से प्राप्त कर सकते है ?

उत्तर –जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के हेल्पलाईन नम्बर 8306002135 पर कॉल करके या इसी नम्बर पर व्हाट्सऐप करके अथवा सबंधित तालुका विधिक सेवा समिति से सहायता मांगी जा सकती है। प्राधिकरण पैरालीगल वॉलियन्टर को अथवा सम्बन्धित तालुका विधिक सेवा समिति को सहायता प्रदान करने हेतु आदेश दे सकता है।

प्रश्न 15 – क्या अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त की पहचान नहीं हो या अभियुक्त पकड़ा नहीं जाता है तब प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है ?

उत्तर – हां, ऐसे आपराधिक मामले जिनमें अपराधी का पता नहीं चलने पर अदम पता मुलजिम में एफ.आर. पेश हो जाती है या मुलजिम के फरार हो जाने से विचारण नहीं हो पाता है किन्तु पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो जाती है तो पीड़ित द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय वांछित प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर देने पर प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 16 – क्या दाण्डिक प्रकरण का विचारण समाप्त होने पर अंतिम प्रतिकर प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश करना आवश्यक है ?

उत्तर – नहीं, दाण्डिक प्रकरण के विचारण की समाप्ति के पश्चात् अंतिम प्रतिकर प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। धारा 357 क (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बिना आवेदन के ही विचारण न्यायालय का यह दायित्व है कि वह प्रतिकर की अनुशंसा के प्रश्न पर विचार करे और उचित

मामले में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर दिलाने हेतु वांछित अनुशंसा करे अन्यथा ऐसा नहीं करने के कारणों का उल्लेख करें।

प्रश्न 17 — क्या दुर्घटना अथवा किसी लापरवाही से मृत्यु होने पर या किसी हानि या क्षति के होने पर इस स्कीम के तहत प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर — नहीं, मोटर दुर्घटना अथवा अन्य प्रकार से लापरवाही के मामलों में मृत्यु अथवा हानि या क्षति होने पर इस स्कीम के तहत प्रतिकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ऐसे प्रतिकर हेतु दावे मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अथवा घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के तहत सक्षम न्यायालय में ही पेश किया जा सकता है।

प्रश्न 18 — अंतरिम प्रतिकर हेतु प्रस्तुत आवेदन पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा वांछित प्रमाण– पत्र जारी नहीं करने या आवेदन खारिज कर दिया जाने पर क्या उपचार उपलब्ध है ?

उत्तर — प्रतिकर स्कीम के तहत अनुसंधान के दौरान थाना प्रभारी द्वारा प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने या थाना प्रभारी द्वारा आवेदन खारिज कर दिए जाने पर व्यथित पीड़ित व्यक्ति द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतरिम प्रतिकर हेतु आवेदन किया जा सकता है।

पीड़ित प्रतिकर आवेदन हेतु प्रारूप

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत अपराध में जीवन हानि होने से मृतक व्यक्ति के आश्रित को अंतरिम प्रतिकर दिलाने हेतु थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूपः-

थानाधिकारी,

पुलिस थाना .....

प्रेषिति–

श्रीमान अध्यक्ष,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

.....

विषयः– धारा 357 (ए)(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अनुच्छेद 5 (7) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत अंतरिम प्रतिकर हेतु प्रमाण पत्र

महोदय,

निवेदन है कि प्रस्तुत शपथपत्र एवं दस्तावेजों से व अन्यथा प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस थाना ..... के अभियोग (एफ.आई.आर.) संख्या ..... में श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जाति ..... निवासी .... की मृत्यु हुई है। मृत्यु हो जाने की वजह से उसके आश्रितों की पारिवारिक आय को क्षति पहुंची है। मृतक के आश्रितो श्री/श्रीमति ..... की पारिवारिक स्थिति एवं कुल हालात में उसे त्वरित आर्थिक मदद दिया जाना उचित है। मृतक व्यक्ति के आश्रितों को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नहीं किया गया है। मृतक के आश्रितों ने अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करने का वचन दिया है। (मृतक के आश्रित/आश्रितों के शपथपत्र एवं दस्तावेज संलग्न हैं)

उपरोक्तानुसार आवश्यक तथ्य प्रमाणित कर मृतक व्यक्ति के आश्रित को त्वरित अन्तरिम राहत दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट

अपराध से चोटग्रस्त होने की दशा में प्रतिकर प्राप्त करने का आवेदन पत्र

अन्तर्गत राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011

सेवा में,

न्यायालय श्रीमान्,

.....

प्रार्थीगण के नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र तथा व्यवसाय का विवरण :–

1. .....
2. .....
3. .....

विषय :– राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर हेतु अनुशंषा तथा वांछित प्रमाण पत्र जारी करने के बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि द.प्र.सं. की धारा 357ए (2) एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत निम्नांकित आहतगण प्रतिकर दिलाने के बाबत में अनुशंषा तथा वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र सेवा में निम्नलिखित विवरण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है–

1	एफ.आई.आर. संख्या, पुलिस थाना व अपराध अन्तर्गत धारा	
2	न्यायालय का प्रकरण संख्या, उनवान तथा आगामी पेशी	
3	आरोप पत्र में उल्लेखित अपराध की धारा	
4	आहत का व्यवसाय व आमदनी	
5	प्रत्येक आहत के इलाज का विवरण	1. अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि :
		2. इलाज में हुआ खर्च :
		3. चोटों का संक्षिप्त विवरण :
6	**घटना का संक्षिप्त विवरण** तथा प्रार्थीगण को कारित हुई क्षति व हानि	

7. प्रार्थीगण ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए कोई प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं की है।

8. प्रार्थीगण द्वारा उठायी गयी हानि या क्षति ने कुटुम्ब की आय की हानि पहुंचाई है।

9. आवेदकगण अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे इस आशय का प्रत्येक आवेदक का शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र श्रीमान जी की सेवा में पेश कर निवेदन है कि प्रतिकर राशि हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, को अनुशंषा करने तथा प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करावे।

दिनांक :–

हस्ताक्षर प्रार्थीगण

(नोट– प्रत्येक आवेदक का चोट प्रतिवेदन, डिस्चार्ज टिकट, इलाज की पर्चीयां तथा खर्चे के बिल, विकलांगता या स्थाई निशक्तता प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र पृथक से संलग्न किये जावे)

अपराध से संपति हानि होने की दशा में प्रतिकर प्राप्त करने का आवेदन पत्र

अन्तर्गत राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011

सेवा में,

न्यायालय श्रीमान्,

.....

प्रार्थीगण के नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र तथा व्यवसाय का विवरण :–

1. .....

2. .....

3. .....

विषय :– राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत अन्तरिम प्रतिकर हेतु अनुशंषा तथा वांछित प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में।

म्होदय,

निवेदन है कि द.प्र.सं. की धारा 357ए (6) एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अनुच्छेद 5 (7) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रार्थीगण अन्तरिम प्रतिकर दिलाने के क्रम में अनुशंषा तथा वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र सेवा में निम्नलिखित विवरण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है–

1	एफ.आई.आर. संख्या, पुलिस थाना व अपराध अन्तर्गत धारा	
2	न्यायालय का प्रकरण संख्या, उनवान तथा आगामी पेशी	
3	आरोप पत्र में उल्लेखित अपराध की धारा	
4	अपराध से हुई संपति हानि की प्रकृति, विवरण तथा अनुमानित मूल्य	
5	सम्पति दस्तावेज, यदि कोई हो	
6	घटना का संक्षिप्त विवरण तथा प्रार्थीगण को कारित हुई सपति की क्षति व हानि	

7. प्रार्थीगण ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए कोई प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं की है।

8. प्रार्थीगण द्वारा उठायी गयी संपति हानि या क्षति ने कुटुम्ब की आय की हानि पहुंचाई है।

9. आवेदकगण अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे इस आशय का प्रत्येक आवेदक का शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार अंतरिम प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र श्रीमान जी की सेवा में पेश कर निवेदन है कि अंतरिम प्रतिकर राशि हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंषा करने तथा प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करावे।

दिनांक :–

हस्ताक्षर प्रार्थीगण

(नोट– संपति के नुकसान से संबंधित दस्तावेज तथा शपथ पत्र पृथक से संलग्न किये जावे)

अपराध से जीवन हानि की दशा में प्रतिकर प्राप्त करने का आवेदन पत्र

अन्तर्गत राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011

सेवा में,

न्यायालय श्रीमान्,

.....

प्रार्थीगण के नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र तथा व्यवसाय का विवरण :–

1. .....
2. .....
3. .....

विषय :– राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर हेतु अनुशंषा तथा वांछित प्रमाण पत्र जारी करने के बाबत में।

महोदय,

निवेदन है कि द.प्र.सं. की धारा 357ए (2) एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत मृतक के निम्नांकित परिजन आश्रित/वारिसान प्रतिकर दिलाने के क्रम में अनुशंषा तथा वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र सेवा में निम्नलिखित विवरण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है–

1	एफ.आई.आर. संख्या, पुलिस थाना व अपराध अन्तर्गत धारा	
2	न्यायालय का प्रकरण संख्या, उनवान तथा आगामी पेशी	
3	आरोप पत्र में उल्लेखित अपराध की धारा	
4	मृतक का नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, निवासी के विवरण	
5	मृतक का व्यवसाय व आय	
6	मृतक के इलाज का विवरण	1. अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि : 2. इलाज में हुआ खर्च : 3. चोटों का संक्षिप्त विवरण :
7	**घटना का संक्षिप्त विवरण** तथा प्रार्थीगण को कारित हुई क्षति व हानि	

8. प्रार्थीगण ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए कोई प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं की है।

9. मृतक या उसके आश्रितो द्वारा उठायी गयी हानि व क्षति ने कुटुम्ब की आय की हानि पहुंचाई है।

10. आवेदकगण अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे इस आशय का प्रत्येक आवेदक का शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र श्रीमान जी की सेवा में पेश कर निवेदन है कि प्रतिकर राशि हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, को अनुशंषा करने तथा प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करावे।

दिनांक :–

हस्ताक्षर प्रार्थीगण

(नोट–मृतक की पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकट, इलाज की पर्चीयां तथा खर्चे के बिल तथा शपथ पत्र पृथक से संलग्न किये जावे)

आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, व्यवसाय तथा निवास के विवरण) .....

.....

.....

शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हूँ–

1. यह कि प्रार्थी शपथ पूर्वक कथन करता है कि प्रतिकर हेतु किये गये संलग्न आवेदन में दर्ज विवरण पूरी तरह सही है।

2. यह कि प्रार्थी ने केन्द्र, राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के तहत उपरोक्त हानि या क्षति के लिये प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया है।

3. यह कि प्रार्थी अन्वेषण एवं विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करेगा अन्यथा उसे दी जाने वाली प्रतिकर राशि उससे या उसकी सम्पत्ति से वसूल की जा सकेगी।

4. यह कि प्रार्थी शपथपूर्वक कथन करता है कि शपथपत्र का पैरा संख्या 1 से 4 प्रार्थी के निजी ज्ञान व विश्वास में सही है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

आज दिनांक ..... को ..... पर सत्यापित किया गया।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

(उपरोक्त शपथपत्र स्वयं पीड़ित से सत्यापित कराया जाना है किसी अन्य अधिकारी से प्रमाणित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

अण्डर टेकिंग

मैं (प्रार्थी / वादी / प्रतिवादी / अपीलार्थी / परिवादी / मुल्जिम) .....

.....(पूरा नाम व पता मय पिता का नाम) वचन देता हूं कि–

मेरे द्वारा वाद / जवाबदावा / अपील / परिवाद / पालान / प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें मेरे मोबाईल नं ..... ई–मेल आई.डी. ..... एवं स्थाई पत्र व्यवहार का पता ..... अंकित किये है। उक्त वर्णित सूचनाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर माननीय न्यायालय / प्राधिकरण को अवगत कराने के लिए वचन देता हूं।

दिनांक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर

(प्रार्थी / वादी / प्रतिवादी / अपीलार्थी / परिवादी / मुल्जिम)

हस्ताक्षर थानाधिकारी / न्यायिक मजिस्ट्रेट

स्थाई लोक अदालत

प्रश्न 1 – लोक अदालत क्या है ?

उत्तर – लोक अदालत ऐसा फोरम है जहां पक्षकारों के बीच के ऐसे विवाद जो न्यायालय में लंबित है अथवा जो अभी मुकदमें के रूप में दाखिल नहीं किए गए है का निस्तारण समझौता से और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। यह विवादों को निपटाने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है एवं इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–19 के तहत होता है।

प्रश्न 2 – स्थाई लोक अदालत क्या है ?

उत्तर – जन उपयोगिता सेवाएं जैसे बिजली, पानी, परिवहन सेवा, शिक्षा, इत्यादि से सम्बन्धित मामलों को मुकदमा दायर करने से पहले आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए गठित लोक अदालतें स्थाई लोक अदालत कहलाती है। इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के तहत होता है।

प्रश्न 3 – स्थाई लोक अदालत में किस प्रकार के मामले सुने जाते है ?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत में जन उपयोगिता सेवाऐं जिसमें परिवहन सेवा, डाक, तार या दुरभाष सेवा, बिजली या पानी आपूर्ति, आवास एवं भूसंपदा, लोक सफाई या स्वच्छता, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान, बीमा, चिकित्सा, बैंक व लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सेवा से सम्बन्धित मामले जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है सुने जाते है।

प्रश्न 4 – स्थाई लोक अदालत का आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है ?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत ऐसे मामले जहां विवाद में सम्पति का मूल्य एक करोड़ रूपये तक का हो सुनने का आर्थिक क्षेत्राधिकार रखती है।

प्रश्न 5 – क्या दाण्डिक मामले में स्थाई लोक अदालत को सुनवाई की अधिकारिता है ?

उत्तर – नहीं दाण्डिक मामले में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार स्थाई लोक अदालत को नहीं है।

प्रश्न 6 – न्यायालय में लंबित प्रकरण के मामले में स्थाई लोक अदालत का क्या क्षेत्राधिकार है?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत न्यायालय में लंबित मुकदमें के बारे में सुनवाई नहीं कर सकती है। स्थाई लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित कोई प्रकरण तभी पेश किया जा सकता है जब सक्षम न्यायालय में उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई हो अथवा वहां लम्बित नहीं हो।

प्रश्न 7 – स्थाई लोक अदालत की स्थापना का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत की स्थापना का उद्देश्य मौजूदा लोक अदालत की खामी को दूर करने के लिए एवं न्यायालय में मुकदमों का कार्यभार कम करने के लिए जन उपयोगिता सेवाओं से सम्बन्धित मामले को न्यायालय में जाने से पूर्व ही सुलह वार्ता व समझौते के माध्यम से त्वरित गति से निपटाना है।

प्रश्न 8 – स्थाई लोक अदालत में कौन आवेदन कर सकता है ?

उत्तर – विवाद को कोई भी पक्षकार, किसी न्यायालय के समक्ष विवाद को लाने से पहले विवाद के निपटारे के लिए स्थाई लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 9 – राजस्थान में स्थाई लोक अदालत कहाँ–कहाँ स्थापित की गई है ?

उत्तर – राजस्थान में सभी जिला मुख्यालय 35 न्यायिक जिलों (judicial district) में स्थाई लोक अदालत की स्थापना हो चुकी है। जिनकी जानकारी रालसा की अधिकारिक वेबसाइट rlsa.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। जयपुर मेट्रो द्वितीय में स्थाई लोक अदालत की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न 10 – न्यायालय की कार्यवाही एवं स्थाई लोक अदालत की कार्यवाही में क्या अंतर है ?

उत्तर – न्यायालय की कार्यवाही में न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सहित अन्य प्रक्रिया विधि में वर्णित प्रक्रिया की पालना करना आवश्यक होता है, किन्तु स्थाई लोक अदालत में इन अधिनियमों में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक नहीं होता है।

प्रश्न 11 – स्थाई लोक अदालत का गठन कैसे होता है एवं इसमें पीठासीन अधिकारी कौन होता है ?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत का गठन अध्यक्ष सहित दो अन्य सदस्य के माध्यम से होता है। स्थाई लोक अदालत का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या जिला न्यायाधीश की रैंक से उच्च न्यायिक पद की रैंक रखता हो। दो अन्य सदस्य वह व्यक्ति नियुक्त किए जाऐंगे जो लोक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखते हो।

प्रश्न 12 – स्थाई लोक अदालत में शामिल जन उपयोगिता सेवा– वायु, जल एवं थल मार्ग से वस्तु व सवारी के परिवहन में कौन–कौन से माध्यम व मामले सम्मिलित है ?

उत्तर–

क्र.सं.	मार्ग	विवरण
1	वायु मार्ग	एयरलाईन, ट्रेवल ऐजेंट के माध्यम से सेवा में कमी, उपेक्षा के कारण उठाई गई हानि, वस्तुओं का वितरण अनुबंध शर्तों के अनुसार नहीं होना, उड़ान में विलम्ब, उड़ान निरस्त होना या पुनर्निर्धारित होना, समय पर पहुंचने एवं वैध टिकट होने पर भी ओवर बुकिंग या अज्ञात कारणों से boarding नहीं करवाना इत्यादि मामलें सम्मिलित होते है।
2	थल मार्ग	निजी एवं राजकीय यात्री परिवहन, माल परिवहन, शिपिंग कंपनी, ट्रेवल ऐजेंट के माध्यम से परिवहन सुविधा देरी से आना, किसी अनहोनी की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था करने में असफल रहना, चालक अथवा परिचालक द्वारा नियम उल्लंघन, सवारी को देय राशि वापिस देने से मना करना, परिवहन सुविधा की गंदी स्थिति में होना, उपेक्षा के कारण हानि, वस्तुओं का वितरण अनुबंध शर्त के अनुसार नहीं होना, इत्यादि मामले सम्मिलित होते है।

प्रश्न 13 – स्थाई लोक अदालत में डाक, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन सेवा में कौन–कौन से विभाग व मामले सम्मिलित होते है ?

उत्तर – लोक उपयोगिता सेवा डाक, टेलीग्राफ व टेलीफोन सर्विस में भारतीय डाक विभाग, निजी कोरियर सेवा, बी.एस.एन.एल. एवं प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स, टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट सेवा देने वाले विभाग सम्मिलित है। इसमें पैकेट का देरी से या गलत जगह पहुंचाया जाना और टेलीफोन या मोबाइल सेवा में त्रुटि या बिल का गलत जगह पहुंचाना जैसे मामले सम्मिलित होते है।

प्रश्न 14 – स्थाई लोक अदालत में जल, शक्ति एवं बिजली आपूर्ति के कौन–कौन से मामले सम्मिलित है?

उत्तर – इसमें विद्युत वितरण निगम, जन स्वास्थ्य विभाग, थर्मल प्लान्ट्स, सिंचाई व पेयजल वितरण विभाग, नगर पालिका व निगम इत्यादि विभाग आते है। इन विभागों के जल, विद्युत कनेक्शन के मामले व उनका अवैध विच्छेद, अनुचित जुर्माना, अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण बिल व सेवा, स्ट्रीट लाईट, गंदा व अस्वास्थ्यकर पेयजल अथवा जल का दुरूपयोग, बिजली व जल वितरण लाईन को उपभोक्ता द्वारा क्षति, जल व विद्युत बिल का उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं करना, विभाग द्वारा गलत मीटर रीडिंग लेना इत्यादि मामले सम्मिलित होते है।

प्रश्न 15 – स्थाई लोक अदालत में चिकित्सालय या औषधालय सेवा में कौन–कौन से मामले सम्मिलित होते है ?

उत्तर – इसमें सभी राजकीय, निजी एवं अन्य संस्थान द्वारा संचालित अस्पताल व डिस्पेंसरी सम्मिलित है। इन विभागों की चिकित्सीय उपेक्षा, अधिक चार्ज लगाना, त्रुटिपूर्ण दवाई या वेक्सीन देना, अकुशल मेडिकल स्टॉफ या चिकित्सक द्वारा ईलाज, अस्पताल से दवाईयां देने से या ईलाज करने से मना करना, कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सेवा देने व दवा देने से इंकार करना, बिना अनुमति शरीर के अंगों को हटाना इत्यादि मामले सम्मिलित होते है।

प्रश्न 16 – स्थाई लोक अदालत में शामिल लोक सफाई एव स्वच्छता में कौन–कौन से विभाग व मामले सम्मिलित होते है ?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत में स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग, ग्राम पंचायत , नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, निजी बिल्डर्स कोई भी राजकीय उपक्रम या ऐजेंसी जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तरदाई हो, कारखाना मालिक या कोई व्यक्ति जो स्वच्छता की समस्या पैदा कर रहे हो इत्यादि विभाग सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सड़कों पर आवारा पशु घूमना, सड़कों पर जल भराव, सड़क अवरोध, कचरा पात्र नहीं लगाना, कीटनाशक का छिड़काव, कचरा उचित स्थान पर नहीं डालना या इकट्ठा करना, किसी व्यक्ति या अन्य द्वारा कचरा सार्वजनिक स्थान पर डालना जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो से सम्बन्धित मामले आते है।

प्रश्न 17 – स्थाई लोक अदालत में शामिल बीमा सेवा में कौन–कौन से विभाग व मामले सम्मिलित होते है?

उत्तर – सभी राजकीय व निजी बीमा कम्पनीयां, बीमा सलाहकार व एजेंटे जो बीमा कंपनी की ओर से उपभोक्ता को गाईड करते है व बीमा विक्रय करते है, मेडीक्लेम पॉलिसी में बीमा कंपनी व अस्पताल के बीच के मध्यस्थ इत्यादि विभाग इसमें सम्मिलित है। इसमें अनुचित प्रिमियम अधिरोपित करना, बीमा क्लेम में देरी, पूर्ण अथवा भागतः बीमा दावा को खारिज करना, बीमा दस्तावेज या पॉलिसी के सम्बन्ध में विवाद इत्यादि मामले सम्मिलित होते है।

प्रश्न 18 – स्थाई लोक अदालत में शामिल बैंकिंग व वित्तीय सेवा में कौन–कौन से विभाग व मामले सम्मिलित होते है ?

उत्तर – इसमें सभी राजकीय, प्राइवेट कॉपरेटिव बैंक, कॉपरेटिव सोसायटी व फाइनेंसर जो उपभोक्ता को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाते हैं सम्मिलित है। इसमें सेवा दोष, ब्याज का अधिक लगाना, लॉकर समस्या, ए.टी.एम. या ऑनलाईन बैंकिंग समस्या, वाहन, भवन अथवा अन्य कार्य हेतु दिए गए ऋण की किश्त के भुगतान, ऋण जमा करवाने के पश्चात् बैंक से दस्तावेज नही देने, ऋण लेते समय अग्रिम चैक लेने, बिना सूचना ब्याज व सेवा घटाना या बढ़ाना या अनुचित चार्ज लगाना, संस्था के कर्मचारी द्वारा कपट करने, ऋण राशि या एफ.डी. राशि से सम्बन्धित विवाद इसमें सम्मिलित है।

प्रश्न 19 – स्थाई लोक अदालत में आवास एवं भूसंपदा सेवा के कौन– कौने से मामले सम्मिलित होते है?

उत्तर – इसमें यु.आई.टी., राज्य आवास निगम, निजी कोलोनाइजर्स, ऐरटेट ऐजेंट इत्यादि विभाग सम्मिलित है व इसमें भूखण्ड आंवटन, तय समय में भवन निर्माण नही करने व कब्जा सुपुर्दगी में विलम्ब, तय शर्तो के अनुसार सुविधाएँ नही देने, तय शर्तो से अधिक राशि वसूलने, घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने, तय शर्त से भिन्न नक्शे से निर्माण इत्यादि से सम्बन्धित विवाद इसमें सम्मिलित है।

प्रश्न 20 – स्थाई लोक अदालत में किसी मामले को पेश कर देने के पश्चात् क्या दूसरा पक्षकार उसी मामले को अलग से सक्षम न्यायालय में पेश कर सकता है ?

उत्तर – **नही,** एक बार स्थाई लोक अदालत में कोई मामला पेश कर दिया जाता है तब उसी विवाद का कोई पक्षकार अन्य सक्षम न्यायालय में उस विवाद के सम्बन्ध में कोई दावा या कार्यवाही नही कर सकता है।

प्रश्न 21 – स्थाई लोक अदालत की क्या प्रकिया है ?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत सिविल प्रकियात्मक विधि से बाध्य नही है। स्थाई लोक अदालत जब गुणावगुण पर सुलह या विवाद का निर्धारण कर रही हो तब प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त, वास्तविकता, निष्पक्ष व्यवहार, न्याय व न्याय के अन्य सिद्धान्त से मार्गदर्शित होती है। स्थाई लोक अदालत सामान्यतया कोई आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर तलब करती है, उससे जवाब प्राप्त करती है, पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद बिन्दु तय करती है, सुलह कार्यवाही करती है, पक्षकारों को उनके बीच के विवादों के शीघ्र निपटारे तक पहुंचाने के लिए उनकी सहायता करती है, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है, पक्षकारों के बीच के विवाद के गुणावगुण पर निपटारा करवाकर पंचाट जारी करती है।

प्रश्न 22 – क्या स्थाई लोक अदालत में प्रकरण की पैरवी हेतु अधिवक्ता करना आवश्यक है ?

उत्तर – **नही,** स्थाई लोक अदालत में प्रकरण की पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया जाना अनिवार्य नही है। पक्षकार उनके प्रकरण में स्वयं ही उपस्थित होकर व्यक्तिशः पैरवी कर सकते है, किन्तु पक्षकार चाहे तो पैरवी हेतु अधिवक्ता भी नियुक्त कर सकते है।

प्रश्न 23 – क्या स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र/परिवाद पेश करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित है?

उत्तर – **हां,** स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र/परिवाद परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार उसमें वर्णित निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पेश किया जा सकता है।

प्रश्न 24 – स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र/परिवाद पर कितनी न्यायालय फीस देय होती है व इसमें पारित निर्णय की अपील कहाँ की जा सकती है ?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र/परिवाद प्रस्तुत करने के लिए कोई न्यायालय फीस देय नही होती है। स्थाई लोक अदालत का पंचाट अन्तिम होता है व पंचाट उनके सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है पंचाट की कोई भी अपील नही होती है, न ही किसी न्यायिक कार्यवाही में उसे प्रश्नगत किया जा सकता है।

प्रश्न 25 – स्थाई लोक अदालत के पंचाट को किस प्रकार लागु किया जाता है ?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत का पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में माना जायेगा व उसका निष्पादन उसी प्रकार किया जाएगा जैसे वह न्यायालय की डिक्री हो।

प्रश्न 26 – स्थाई लोक अदालत की मुख्य विशेषताऐं क्या है ?

उत्तर –

1. स्थाई लोक अदालत प्रक्रिया विधि जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इत्यादि से बाध्य नही होती है।
2. आवेदक को न्यायालय फीस नही देनी होती है।
3. स्थाई लोक अदालत मामले को त्वरित गति से निस्तारण करने में सक्षम है।
4. स्थाई लोक अदालत द्वारा जारी पंचाट अन्तिम होता है व दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
5. स्थाई लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण सुलह व समझौते के माध्यम से ही करवाने का प्रयास किया जाता है जिसमें किसी भी पक्ष की हार नही होती है।
6. स्थाई लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट की अपील नही होती है ना ही किसी न्यायिक कार्यवाही में उसे प्रश्नगत किया जा सकता है।

प्रश्न 27 – स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र/परिवाद किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है ?

उत्तर – स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र/परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र/परिवाद का कोई प्रारूप निर्धारित नही है, किन्तु प्रार्थना पत्र में आवश्यक तथ्य आ जाने चाहिए व उनके समर्थन मे दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। परिवाद का मॉडल प्रारूप परिशिष्ट 1 में दिया जा रहा है, जिसकी सहायता ली जा सकती है।

प्रश्न 28 – क्या स्थाई लोक अदालत में पैरवी हेतु निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की सकती है ?

उत्तर – हां, स्थाई लोक अदालत में पैरवी हेतु निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। यदि परिवादी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुच्छेद 12 में वर्णित वर्ग में से किसी भी वर्ग में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति हो।

प्रश्न 29 – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुच्छेद 12 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति कौन है ?

उत्तर – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुच्छेद 12 के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक मामला पेश करना है या प्रतिरक्षा करनी है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति :–

1. अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो।
2. संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव दुर्व्यापार या बेगार से पीड़ित व्यक्ति रहा हो।
3. महिला या बच्चा हो।
4. विकलांग हो।
5. अभिरक्षा में निरूद्ध हो।
6. घोर विपत्ति, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकम्प, आदि से पीड़ित हो।
7. औद्योगिक कर्मकार हो।
8. अनैतिक व्यापार से पीड़ित हो।
9. ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम हो।

प्रश्न 30 – निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र कहां प्रस्तुत किया जा सकता है ?

उत्तर :– निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सबंधित न्यायालय जिसमें प्रकरण लंबित हो, सम्बंधित पुलिस थाना एवं यदि व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में कारागृह में निरूद्ध हो तो कारागृह प्रभारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी प्रकरण में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त नही होने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा प्रार्थी को निःशुल्क विधिक सहायता में पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाता है। राजसमंद जिले में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सहायता के लिए संपर्क सूची परिशिष्ट 2 के रूप में संलग्न की गयी है।

परिशिष्ट–1

सेवा में,

अध्यक्ष,
स्थायी लोक अदालत,
.....

श्री .....
.....
..... (प्रार्थी)

बनाम

1. .....
2. .....

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 22 बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987

महोदय,

प्रार्थी का निवेदन निम्न प्रकार से है :–

1. यह कि.....
2 यह कि.....
3 यह कि.....
4 यह कि.....

5. यह कि उक्त विवाद के संबंध में, प्रार्थी या अप्रार्थी द्वारा अभी तक किसी भी अन्य न्यायालय में मामला दर्ज नही करवाया है व मामला पूर्व–मुकदमे के चरण में है।

6. यह कि इस अदालत को विवादित मामले में पक्षकारों के बीच सुलह कराने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है, और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में उसकी विफलता की स्थिति में, गुणावगुण पर अवार्ड पारित करने की भी अधिकारिता है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थी विनम्र प्रार्थना करता है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न आदेश प्रदान करने की कृपा करावें :–

1. यह कि.....

2. प्रार्थी को प्रार्थना पत्र का खर्च तथा अन्य कोई सहायता जो न्यायालय उचित समझे वह अप्रार्थी से दिलवाने का आदेश प्रदान करें।

दिनांक .....
स्थान .....

प्रार्थी श्री .....
पुत्र श्री .....

आवास .....

संख्या .....

.....

सत्यापन

प्रार्थी एतद्द्वारा सत्यापित करता है कि इस आवेदन के चरण संख्या..... से अंत तक उसे निजी ज्ञान एवं जानकारी से व विधिक सलाह के आधार पर सही व सत्य है।

दिनांक .....

स्थान .....

अभिसाक्षी / आवेदक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.....

विधिक सहायता की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र

प्रकरण : सिविल/फौजदारी/अन्य

(विधिक सहायता हेतु आवेदन सम्बन्धित ..... को प्रेषित किया जावे, जो रोस्टर के अनुसार प्रकरण की प्रकृति के अनुसार अधिवक्ता नियुक्ति करेगा।)

(आवेदन द्वारा किसी भी अधिवक्ता को किसी भी प्रकार की फीस व खर्चे का भुगतान नहीं किया जावेगा)

1. नाम आवेदक :
2. आवेदक का स्थायी पता :
3. सम्पर्क पता :
4. मोबाईल एवं ई-मेल आई.डी. :
5. क्या आवेदक अधिनियम की :
धारा -12 में वर्णित व्यक्तियों के
प्रवर्ग से है ?
6. आवेदक का आधार नम्बर/वोटर
कार्ड नम्बर/अन्य पहचान पत्र संख्या :
7. आवेदक की मासिक आय :
8. क्या अधिनियम की धारा-12 के अधीन
आय/जाति समर्थन में शपथ-पत्र/सक्षम
दिया गया ?
9. अपेक्षित विधिक सहायता या सलाह की प्रकृति :
10. मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय
आधारित विधिक सेवा अपेक्षित है

न्यायालय का नाम .....

प्रकरण संख्या .....

पुलिस थाना.....

क्राम सूचना रिपोर्ट .....

अपराध अन्तर्गत धारा .....

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है । मैं निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त करने का हकदार हूं। वर्तमान समय में मेरा प्रकरण की पैरवी करने हेतु कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है। मैं बिना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहमति के अन्य अधिवक्ता नियुक्त नहीं करूंगा।

स्थान :-

दिनांक :- आवेदक के हस्ताक्षर

नोट - 1. इस प्रार्थना पत्र के साथ जाति-प्रमाण/आय प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्र के अभाव में अपनी आय बाबत अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

2. इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत करें।

प्रार्थना पत्र अग्रेषणकर्ता प्राधिकारी :

उक्त जानकारी आवेदक द्वारा दी गई है और प्रकरण न्यायालय में प्रकरण संख्या पेशी दिनांक लंबित है।

पैरालीगल अधिकारी के हस्ताक्षर

सम्पर्क सूची

क्र.स	कार्यालय का नाम	दूरभाष नम्बर
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद	02952–294498
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद	8306002136 (हेल्पलाईन)
3	तालुका विधिक सेवा समिति, नाथद्वारा	02953–233433
4	तालुका विधिक सेवा समिति, देवगढ	02904–252253
5	तालुका विधिक सेवा समिति, आमेट	02908–251100
6	तालुका विधिक सेवा समिति, रेलमगरा	02952–267500
7	तालुका विधिक सेवा समिति, कुंभलगढ	02954–242577
8	तालुका विधिक सेवा समिति, भीम	02951–250555

न्याय सबके लिये

e-mail id:- dlsa30rajsmand@gmail.com

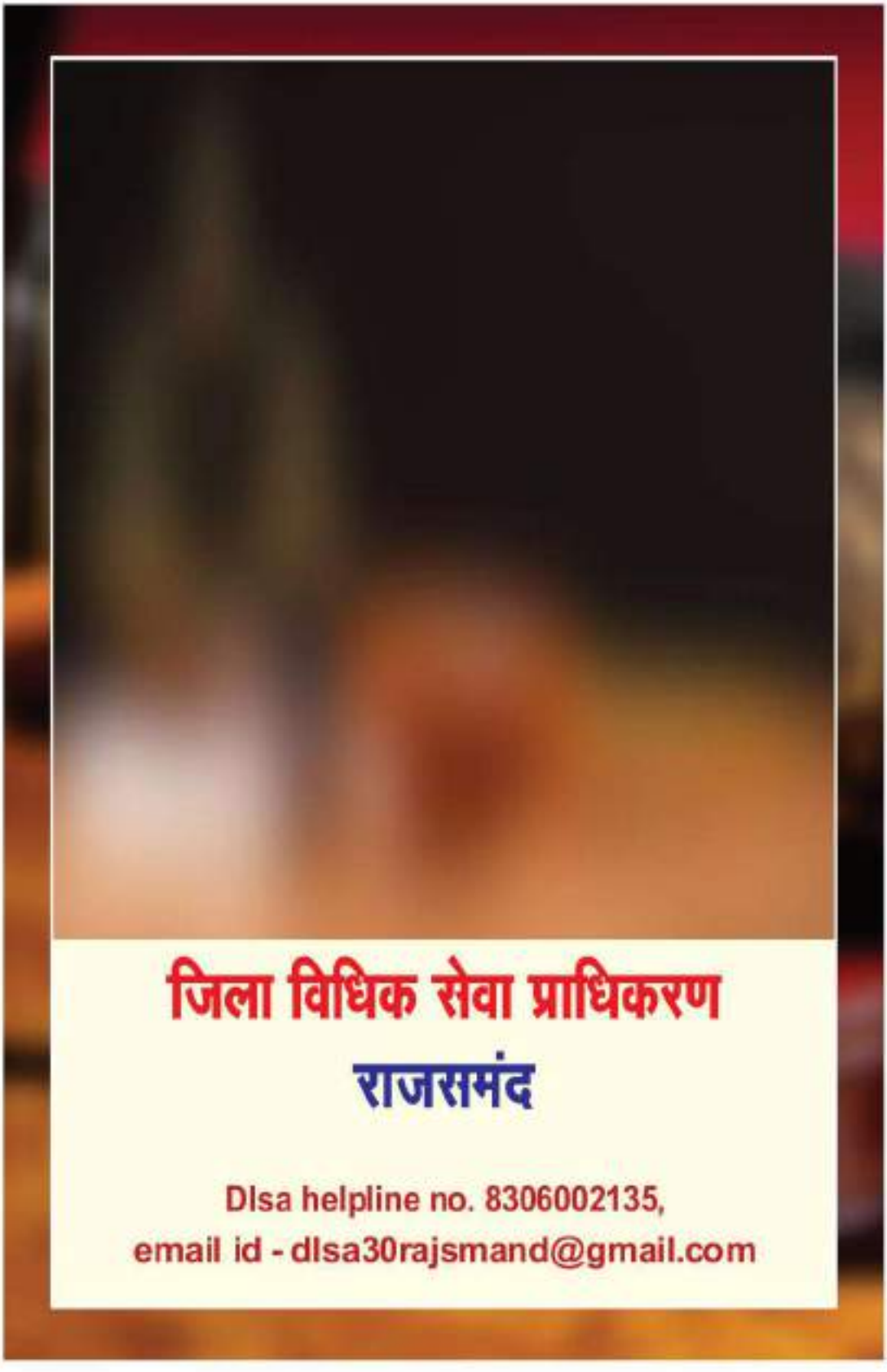

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

राजसमंद

Dlsa helpline no. 8306002135,
email id - dlsa30rajsmand@gmail.com